संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2018/1178-R भोपाल, दिनांक 17/12/2018

// आदेश //

कलेक्टर, नरसिंहपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्र.3259 दिनांक 05.05.2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 2/अवि./सेल–टी.पी./2015/ 718–G भोपाल, दिनांक 09.09.2015 के सरल क्रमांक 02 पर दर्ज श्री देवी प्रसाद चौबे, सहायक ग्रेड–2 जिला मलेरिया कार्यालय, नरसिंहपुर का स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिन्दवाड़ा के अधीन किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री चौबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 16065/2015(S) दायर की जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2015 में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने एवं श्री चौबे के स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी की पदस्थापना जिला मलेरिया कार्यालय में न की जाने के कारण अभ्यावेदन के निराकरण तक आवेदक को नरसिंहपुर में ही कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।

मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2015 के पालन में स्थानांतरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने हेतु श्री चौबे को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 29.06.2016 को स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा समक्ष में सुना गया । समक्ष सुनवाई के दौरान श्री चौबे द्वारा स्वंय की अस्वस्थता एवं बच्चों के अध्यनरत होने के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अनुरोध किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर के पत्र दिनांक 08.10.2015 से यह तथ्य संज्ञान में आया कि श्री चौबे द्वारा नरसिंहपुर जिले में पदस्थ ए.एन.एम. श्रीमती पुष्पलता चौधरी के जी.पी.एफ. खाते से 40 हजार रूपये वर्ष 2003–04, 2004–05 में आहरित कर स्वयं के पास रख लिये थे तथा लगभग 10 वर्ष पश्चात् संबंधित द्वारा शिकायत करने पर श्री चौबे द्वारा श्रीमती चौधरी को राशि वापस की गई ।

समक्ष सुनवाई के दौरान श्री चौबे द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2015 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,नरसिंहपुर के पत्र दिनांक 08.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत श्री देवी प्रसाद चौबे, सहायक ग्रेड–2 द्वारा जिला नरसिंहपुर से जिला छिन्दवाड़ा किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किया जाता है ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

14/12/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक,(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2018/1179-R भोपाल, दिनांक 17/12/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. कलेक्टर, जिला–नरसिंहपुर म.प्र. ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश ।
6. उप संचालक, (लीगल) स्थानीय कार्यालय मध्यप्रदेश ।
7. कोषालय अधिकारी, जिला– नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।

14/12/18
अपर संचालक,(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश